2017/00533

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री शंकरलाल नायक पुत्र शिवचंद नायक वी.पी.ओ.जैतासर तहसील श्री डूंगरगढ जिला बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ/पूगल प्रथम सूचना अपील संख्या 263/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट,2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.12	: निर्णय : 1. अपीलार्थी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ/पूगल के विभागीय प्रतिनिधि हाजिर नहीं। लोक सूचना अधिकारी के विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गई। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 05.07.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी, एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर से चाही गई थी। वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलवाये जाने का निवेदन किया। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर की और से विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब क्रमांक 2094 दिनांक 08.11.17 में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी के आवेदन–पत्र में उल्लेखित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ/पूगल से संबंधित होने के कारण आर.टी.आई. की धारा 6(3) के तहत कार्यालय के पत्रांक 1090–91 दिनांक 10.7.17 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ/पूगल को निर्धारित समयावधि में हस्तानान्तरण करते हुए अपीलार्थी को रजिस्टर्ड पत्र से सूचित किया गया है, तथा अपील का जवाब प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देशित किया है। 4. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ ने पत्रांक 1841 दिनांक 30.11.17 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित पूर्ण ब्यौरा/विवरण उपलब्ध नहीं क़रवाया गया है, तथा आवंटित हुई भूमि की सूचना वर्ष 1976 से 1980 के मध्य की चाही गई है, जबकि उपखण्ड वर्ष 2010 में सृजित हुआ है। अतः सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। 5. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पूगल द्वारा ना तो अपील का जवाब पेश किया गया है व ना ही उनके प्रतिनिधि सुनवाई के दौरान उपस्थित आये है। 6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पूगल के धारण/नियंत्रण में हो तो वांछित सूचना नियत समयावधि में अपीलार्थी को दी जानी चाहिए थी। 7. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पूगल को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार अपीलार्थी के आवेदन–पत्र का निस्तारण 15 दिवस के अंदर किया जा कर उसकी सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को आवश्यक रूप से भिजवाई जावे। 8. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पूगल को पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत जारी नोटिस का जवाब समयावधि में इस न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा नियमित पैरवी करना सुनिश्चित करावें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कौताही नहीं बरती जावे। 9. निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो। (अनिल गुप्ता) प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कंलक्टर, बीकानेर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर